प्रकरण संख्या 6/2020 बालु बनाम रोशनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.03.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कुंवारिया में आराजी नंबर 1757 से 1763 कुल किता 7 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 का 31/400 हिस्सा है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रत्येक ईंच पर सभी सहखातेदारों का हक अधिकार व कब्जा है, किन्तु भूमि अविभाजित होने से विकास करने में कठिनाई आती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ताकत व शक्ति के बल पर बिना विभाजन के विशिष्ट भाग का बिना रूपान्तरण कराये निर्माण करने पर आमादा है तथा मौके पर करीब 10 ट्रिप डलवाकर नीवें खोद रखी है। अतः उक्त आराजीयात का पक्षकारों के मध्य उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.06.2016 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 13.01.2020 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा दिनांक 12.03.2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा खातेदारान को बिना [illegible] तथा उन्हे बगैर नोटिस दिये उनकी अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विधि विरूद्ध है। उक्त योजना तहसीलदार द्वारा केवल मात्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय में बैठकर तैयार की जाना प्रमाणित हो रहा है। विभाजन योजना में राजस्व मण्डल द्वारा बनाये गये नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा एवं बंटवारा प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि मौका पर्चा एवं बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया जाना चाहिए था। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि उक्त फर्द बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है, जबकि मौका कमिश्नर तहसीलदार को नियुक्त किया गया था। तद्नुसार उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.01.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार राजसमन्द स्वयं मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय उक्त फर्द बंटवारे पर पक्षकारान को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 23.05.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर